वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 180/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-21.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 21.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-रौनापारः-छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 18.05.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र शंकर ग्राम बगई मु0 बनहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के अंगो को अभियुक्त द्वारा गलत तरीके से छुआ गया तथा अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी को पत्थर से मारा गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/25 धारा 75,115(2) बी.एन.एस. व 9(m)/10 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा की जा रही है। विवेचना के क्रम में.......

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 21.05.25 को म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र शंकर ग्राम बगई मु0 बनहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष को खोजौली तिराहे के पास से समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 179/25 धारा 75,115(2) बी.एन.एस. व 9(m)/10 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. पंकज कुमार पुत्र शंकर ग्राम बगई मु0 बनहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01.म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
02.का0 अखिलेश पटेल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
03.म0का0 प्रज्ञा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना-बरदहः-शादी का झांसा देकर शारिरिक सम्बन्ध बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक-19.05.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र शाह मोहम्मद निवासीग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा शादी का झाँसा देकर पिछले लगभग तीन वर्षों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था और अब शादी करने से इन्कार किया जा रहा है। अभियुक्त से शादी के बारे में कहने पर उसके द्वारा वादिनी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 69/351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 21.05.25 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अब्दुल सलाम अंसारी पुत्र शाह मोहम्मद निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ को ब्रह्म बाबा मन्दिर बरदह के पास मोड से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अब्दुल सलाम अंसारी पुत्र शाह मोहम्मद निवासी ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग:-

01.मु0अ0सं0 138/25 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 संजय कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 विद्याकान्त थाना बरदह, आजमगढ़

03.थाना-तहबरपुर:-किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 28.04.25 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक -27.04.2025 को समय लगभग 01.00 बजे वादिनी की नाबालिग पोती को अभियुक्त संदीप राय पुत्र अखिलेश राय ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा वादिनी की पोती को भगाने में ग्राम बीबीपुर के अखिलेश राय पुत्र स्व0 वशिष्ट राय,सरोज राय पत्नी अखिलेश राय,यजाज अहमद पुत्र इम्तियाज अहमद का सहयोग करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 137(2),87,61(2) भा0न्या0सं0 बनाम 1. संदीप राय पुत्र अखिलेश राय 2. अखिलेश राय पुत्र स्व0 वशिष्ट राय 3.सरोज राय पत्नी अखिलेश राय 4.यजाज अहमद पुत्र इम्तियाज अहमद निवासीगण ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1),78,115(2),151(3),142 भा0न्या0सं0 व 3/4 (3) पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 21.05.2025 को उ0नि0 मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संदीप राय पुत्र अखिलेश राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को सिलनी नदी पुल पर ग्राम नेवादा के पास से समय करीब सुबह 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संदीप राय उर्फ रितीक पुत्र अखिलेश राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 90/2025, धारा 137(2),87,61(2),65(1),78,115(2),151(3),142 भा0न्या0सं0 व 3/4 (3) पोक्सो एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1 उ0नि0 मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 अभिषेक सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

04.थाना-जीयनपुरः-हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 03.03.2025 को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व0 श्याम कुवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 28/03/25 को वादिनी का लडका अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष शाम को गाँव के ही मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द के साथ दावत खाने जीयनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लडका अश्वनी, मैकु उर्फ रामचन्दर तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सडक के किनारे वादिनी के लडके का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद है, हमे शंका है कि हमारे गाँव के मैकु उर्फ रामचन्दर व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बनाम

1. मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव, निवासी ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द्र सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 10 अन्य अभियुक्तों1. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

2. **अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चक अमरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़**
3. **सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद, निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़**
4. **सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र, निवासी मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़**
5. **आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**
6. **अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**
7. **आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**
8. **विकास यादव पुत्र सुर्यप्रकाश यादव उर्फ शेरा, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**
9. **दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया** तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/61(2)BNS की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 21.05.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त घनश्याम उर्फ धन्नू पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी कोड़वा गोड़ारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मुबारकपुर मोड़ के पास से समय करीब 05:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01. घनश्याम उर्फ धन्नू पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी कोड़वा गोड़ारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण–

घनश्याम उर्फ धन्नू पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी कुड़वा गोड़ारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष पूछ ताछ से बता रहा है कि साहब रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हमारा दोस्त है । रामचन्द्र उर्फ मैकु का उसके गांव के अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से रंजिस थी। अश्वनी चौहान पीछले प्रधानी चुनाव में बी.डी.सी. का चुनाव लड़ा था परन्तू वह चुनाव हार गया था तथा आने वाले प्रधानी चुनाव में वह इस बार प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता था । प्रधानी का चुनाव रामचन्द्र उर्फ मैकु भी लड़ना चाहता था। रामचन्द्र उर्फ मैकु को यह डर था की यदि अश्वनी चौहान भी इस बार प्रधानी चुनाव लड़ जायेगा तो मै नही जीत पाऊंगा ।इसलिये वह अश्वनी चौहान से अन्दर – अन्दर ईष्या रखता था। यह उसको जानकारी न हो इसलिए रामचन्द्र उर्फ मैकु अश्वनी चौहान के साथ आता जाता रहता और साथ साथ दावत में भी ले जाता था। अश्वनी चौहान को रामचन्द्र उर्फ मैकु अपने रास्ते से हटाने के फिराक मे लगा रहता था । इसके बारे मे वह पहले भी कई बार मुझसे व अपने अन्य कई साथियो को बताया था तथा यह भी कहा था कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन अश्वनी चौहान को अपने रास्ते से हटा दुगां । मेरे व रामचन्द्र उर्फ मैकु के अन्य साथी शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम सवरूपुर थाना जीयनुर जनपद आजमगढ़ हा0मु0 खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ, रामआशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव ग्राम बाजार बागखालिस थाना जीयनपुर जनपद

आजमगढ,सर्फुद्दीन पुत्र रोजिद निवासी गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शेरा ग्राम दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ, सौरभ यादव उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ,आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, अनिल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ व अमित यादव पुत्र श्यामकेवल यादव ग्राम चक अमरौला बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ है इन लोगो से भी रामचन्द्र उर्फ मैकु ने कई बार अश्वनी चौहान को ठिकाने लगाने की बात कही थी हम सभी लोग मिलकर कई बार दावत भी कर चुके है। दिनांक 28.03.2025 की रात्रि मे मुबारकपुर रोड़ स्थित गोल्डेन मैरेज हाल के सामने विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शेरा ग्राम दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के मकान मे दावत थी। उस दावत में,रामआशीष, सर्फुद्दीन,अमित यादव,आकाश यादव, शिवम ,आये थे तथा दावत मे विकास भी शामिल था। उस दावत में यशवन्त यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी छतरपुर दलेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व अनुराग उर्फ अंश पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव नि0ग्राम खतिबपुर थाना जीयनपुर जनदप आजमगढ भी आये थे और खाने के लिये मीट बना रहे थे। उसी रात मे हसनपट्टी मे एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के यहाँ भी दावत थी जहाँ पर रामचन्द्र उर्फ मैकु दावत खिलाने के बहाने अश्वनी चौहान को लेकर आया था। जब अश्वनी दावत खाकर वहां से गया तो सौरभ यादव उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ तथा रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मुबारकपुर रोड़ स्थित गोल्डेन मैरेज हाल के सामने स्थित विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शेरा ग्राम दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ घर आये और पहले मुझे व अनिल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ को नीचे बुलाया तथा रामचन्द्र मैकु ने कहा की अश्वनी चौहान पुत्र स्व0श्याम कुवर चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जीयनपुर से दावत खाकर घर के लिये निकल गया है रास्ते मे हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे क्योकि रात मे रास्ते मे कोई और नही मिलेगा।तुम अनिल पुत्र रामसमुझ निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को लेकर निकलो तथा मुझे अजतमगढ़ के आगे नरहन गांव के पास मिलो मै अपने अन्य साथियो को लेकर आता हूं।अनिल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ स्पलेन्डर मोटरसाइकिल बाईक लाया था मोटरसाइकिल का नम्बर मुझे याद नही है।जिसपर मै तथा अनिल बैठकर अजमतगढ़ से आगे नरहन खास गांव के लिये चल दिये। जब हमलोग नरहन गांव के आगे पहुचे थे तो कुछ समय बाद रामचन्द्र उर्फ मैकू पुत्र स्व कन्हैया यादव ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ अपने साथी सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व विरेन्द्र ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ एक मोटरसाइकिल पर जो मोटरसाइकिल रामचन्द्र उर्फ मैकु चला रहा था।तथा दूसरी बाईक पर शिवम यादव तथा अमित यादव व सर्फुद्दीन,दूसरी बाइक पर विकास,आकास,रामआशीष मिले। कुछ समय पश्चात अश्वनी चौहान अपनी मोटरसाइकिल से अजमतगढ़ की तरफ से आता दिखायी दिया तभी हमलोग नरहन गांव से अजमतगढ़ की तरफ अपनी अपनी मोटरसाइकिलो से चल दिये। रामचन्द्र उर्फ मैकु अपनी मोटरसाइकिल पर सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व विरेन्द्र ग्राम मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ बैढ़ाकर आगे आगे चल दिया। समय करीब 11.15 बजे रात मे जब हमलोग अश्वनी चौहान के गाड़ी के पास पुहचे तो रामचन्द्र उर्फ मैकु ने अपनी मोटरसाइकिल का अगला चक्का अश्वनी चौहान के मोटरसाइकिल के पीछले चक्के से सटा दिया जिससे वह वही लड़खड़ा कर गिर गया तभी सौरभ यादव उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, शिवम,सर्फुद्दीन, अश्वनी चौहान को डण्डे से मारने लगे तथा रामचन्द्र उर्फ मैकु लोहे की राड से तथा अमित पंच से अश्वनी के सिर पर मारने लगे तथा मै व विकास यादव , आकाश यादव व अनिल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ तथा रामआशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव ग्राम बाजार बागखालिस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ मिलकर अश्वनी चौहान को पकड़े थे। हमलोग अश्वनी चौहान को मारते मारते सड़क के बगल झाड़ मे ले गये और तब तक उसे मारते रहे जब उसकी मृत्यु नही हो गयी।जब हम लोग समझ गये की अश्वनी चौहान मर गया है तब उसके बाद हम सभी लोग मोटरसाइकिलो से चले गये। तभी से हमलोग अपना घर छोड़ कर इधर उधर रह रहे थे और आज मै अपने घर जा रहा था तब तक आप लोग मुझे पकड़ लिये है।साहब मुझको माफ कर दिजिये मुझसे गलती हो गयी

पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, , ,
3. का0 हरिकिशन मौर्या थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0 अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 शुभम तिवारी थाना जीयनपुर जनपद

05.थाना-सरायमीरः- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 20/05/25 को उ0नि0 नीरज गौड़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर बस्ती नहर पुलिया से एक व्यक्ति मो फैसल पुत्र मो असलम निवासी कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र लगभग 30 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2025 , धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मो फैसल पुत्र मो असलम निवासी कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र लगभग 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 213/2025 , धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-**227/2022 धारा 3/25** आयुद्ध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-213/2025 , धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।